

न्यायालय तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राज0)

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का वसेठ बनाम गंगाश्याम कांठ भाठकी

निर्णय

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एलआर एक्ट
प्रकरण संख्या :- 16/22/RAनिर्णय दिनांक :- 15/3/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम भाठकी की आ0 ख0 नं0 540 कुल रकबा 0.2500 किस्म जमीन गोठमूठ मरघट में से 0.05 रकबे पर श्री गंगाश्याम गोरधन गीरज पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर धुडा/लकड़ी भगवान मुनीराम पिठूरा शाहण कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का वसेठ मसारी द्वारा दिनांक 22/12/2021 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू0 अ0 निरीक्षक वसेठ के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी गंगाश्याम गोरधन गीरज जाति शाहण निवासी वसेठ को भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी गंगाश्याम गोरधन गीरज उपस्थित नहीं हुआ/हुआ। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है। जिसमें अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण हटाने की लिखित सहमति दी गई।

उक्त रकबा आ0 ख0 नं0 540 रकबा 0.2500 में से 0.05 रकबे किस्म गोठमूठ मरघट है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 1.10 का 50 गुणा 55/- रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है। मांग कायमी हेतु टी.आर.ए. को लिखा जावे। पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी वसेठ भू0 अ0 निरीक्षक वसेठ को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मोह
तहसीलदार (अलवर)
तहसीलदार
तहसील (कठूमर)